



सत्यमेव जयते

# लेखे एक दृष्टि में

2016-17



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार





उत्तराखण्ड सरकार

# लेखे एक दृष्टि में

## 2016-17

उत्तराखण्ड सरकार



## आमुख

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। वार्षिक लेखाओं में (अ) वित्त लेखे एवं (ब) विनियोग लेखे सम्मिलित हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अन्तर्गत सारांश विवरण हैं। विनियोग लेखे राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदानवार व्ययों को अभिलेखित करते हैं एवं आबंटित निधि एवं व्ययों की भिन्नताओं को व्याख्यायित करते हैं।

प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' वार्षिक रूप से तैयार किये जाते हैं जिनका उद्देश्य वित्त एवं विनियोग लेखाओं में दी गई ब्यौरेवार सूचनाओं को अधिक सुगम बनाना है। ये सूचनाएँ संक्षिप्त स्पष्टीकरणों, विवरणों एवं ग्राफों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं एवं शासकीय क्रिया विधियों के विस्तृत परिदृश्य को प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि हमारा प्रयास प्रमाणित वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में दिए गए आँकड़ों पर निर्भर करना है तथापि विश्वसनीय आँकड़ों के लिए प्रमाणित वार्षिक लेखे का उल्लेख किया जाए।

हम उन सुझावों का स्वागत करते हैं जो कि प्रकाशन के सुधार में सहायक हों।



(अशोक सिन्हा)

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)

उत्तराखण्ड

स्थान : देहरादून

दिनांक : 22-12-2017



# विषय वस्तु

<b>अध्याय-1</b>	<b>विहंगावलोकन</b>	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखाओं की संरचना	1-2
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3-4
1.4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	4-6
1.5	लेखे के मुख्य अंश	7
1.6	घाटा और आधिक्य क्या दर्शाते हैं?	8-10
<b>अध्याय-2</b>	<b>प्राप्तियाँ</b>	
2.1	प्रस्तावना	11
2.2	राजस्व प्राप्ति	11-12
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	13-14
2.4	स्वयं के कर राजस्व संग्रह में राज्य का प्रदर्शन	15
2.5	कर संग्रह की दक्षता	15
2.6	पिछले पाँच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति	16
2.7	सहायक अनुदान	16-17
2.8	लोक ऋण	17
<b>अध्याय-3</b>	<b>व्यय</b>	
3.1	प्रस्तावना	18
3.2	राजस्व व्यय	18-20
3.3	पूँजीगत व्यय	20-21
<b>अध्याय-4</b>	<b>आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय</b>	
4.1	व्ययों का वितरण (2016-17)	22
4.2	आयोजनेत्तर व्यय	22
4.3	आयोजनागत व्यय	23
4.4	वचनबद्ध व्यय	24
<b>अध्याय-5</b>	<b>विनियोग लेखे</b>	
5.1	वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे का सारांश	25
5.2	पिछले 5 वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	26
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	26-28
<b>अध्याय-6</b>	<b>परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ</b>	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	29-30
6.2	ऋण एवं देयताएँ	30-31
6.3	प्रत्याभूतियाँ	31
<b>अध्याय-7</b>	<b>अन्य मदें</b>	
7.1	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	32
7.2	लेखाओं का मिलान	32-33
7.3	व्यय का प्रवाह	33-34
7.4	लेखा भेजने वाली इकाइयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	34
7.5	सहायक अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र	35
7.6	सार आकस्मिक बिल/ब्यौरेवार आकस्मिक बिल	35-36
7.7	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धता	36
7.8	व्यक्तिगत जमा लेखे	36
7.9	उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)	36-37







## विहंगावलोकन

### 1.1 प्रस्तावना


महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन के प्राप्तियों एवं व्ययों के लेखाओं का संकलन करता है। ये संकलन जिला कोषागारों, लोक निर्माण एवं वन खण्डों तथा अन्तर्राज्यीय लेन-देनों से प्राप्त प्रारम्भिक लेखाओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किये जाते हैं। इस प्रकार के संकलन के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से वित्त एवं विनियोग लेखा तैयार करता है, जो कि राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

### 1.2 लेखाओं की संरचना

#### 1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं

भाग-I समेकित निधि	राजस्व एवं पूँजीगत लेखे की प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम।
भाग-II आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति, जिनके लिए बजट में प्रावधान न किया गया हो। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से कर ली जाती है।
भाग-III लोक लेखे	इसमें ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण एवं उच्चन्त लेन-देन सम्मिलित हैं। ऋण एवं जमा शासन के देयताओं के पुनर्भुगतान को प्रदर्शित करते हैं। अग्रिम शासन द्वारा वसूल किए जाने योग्य होते हैं। प्रेषण एवं उच्चन्त लेन-देन समायोजन सम्बन्धी आँकड़े हैं जिनको अन्तिम रूप से लेखे के अन्तिम शीर्षों में पुस्तांकित कर निस्तारित किया जाना होता है।

## 1.2.2 लेखे का संकलन



वी.एल.सी.: Voucher Level Compilation

## 1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

### 1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन के राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण एवं लेखाओं में अभिलिखित लोक लेखे के शेषों से प्राप्त वित्तीय परिणामों के साथ वार्षिक प्राप्तियों एवं व्ययों को चित्रित करते हैं। वित्त लेखे को अधिक बोधगम्य एवं सूचना देयक बनाने हेतु दो खण्डों में तैयार किया गया है। खण्ड-I में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, कुल प्राप्तियों एवं व्ययों का संक्षिप्त विवरण, 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' जिसमें लेखा नीतियों के महत्वपूर्ण सार, लेखे की विशेषता एवं अन्य मदें सम्मिलित हैं। खण्ड-II में ब्योरेवार विवरण (भाग-I) एवं परिशिष्ट (भाग-II) सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड शासन की वर्ष 2016-17 में प्राप्तियाँ एवं व्यय जैसा कि वित्त लेखे में चित्रित है, निम्न हैं:

			(₹ करोड़ में)
प्राप्तियाँ (योग: 3,03,90.77)	राजस्व (योग: 2,48,88.97)	कर राजस्व	1,73,08.88
		करेत्तर राजस्व	13,45.82
		सहायक अनुदान	62,34.27
	पूँजीगत (योग: 55,01.80)	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	34.85
		विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	...
		उधार एवं अन्य देयताएँ	<b>54,66.95</b>
		(i) लोक ऋण (शुद्ध)	53,73.27
		(ii) आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	1,67.07
		(iii) लोक लेखे (शुद्ध)	10,80.42
		(iv) रोकड़ शेष (शुद्ध)	(-) 11,53.81
संवितरण (योग: 3,03,90.77)	राजस्व	2,52,71.50	
	पूँजीगत	49,54.22	
	ऋण एवं अग्रिम	1,65.05	

31 मार्च 2017 तक भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य की क्रियान्वयन संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को कुछ निधि सीधे स्थानान्तरित की। सी. जी.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार 2016-17 में भारत सरकार ने क्रियान्वयन संस्थाओं को राज्य बजट 2016-17 के अतिरिक्त ₹ 7,19.50 करोड़ अवमुक्त किये। इन निधियों का ब्यौरा वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में दिया गया है। क्रियान्वयन संस्थाओं को सीधे स्थानान्तरित राशि में 2015-16 की तुलना में 872.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

### 1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के अनुपूरक हैं। ये राज्य सरकार के समेकित निधि पर प्रभारित या राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित दत्तमत धनराशियों के विरुद्ध व्यय को दर्शाते हैं। इनमें 01 प्रभारित विनियोग, 07 प्रभारित विनियोग एवं दत्तमत अनुदान एवं 23 दत्तमत अनुदान सम्मिलित हैं।

वर्ष 2016-17 के विनियोग अधिनियम में ₹ 4,19,30.08 करोड़ के सकल व्यय तथा ₹ 23,90.00 करोड़ की वसूलियाँ जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाना था, की व्यवस्था की गई थी। इनके विरुद्ध ₹ 3,72,45.89 करोड़ के वास्तविक सकल व्यय तथा ₹ 16,36.45 करोड़ की वसूलियों के परिणामस्वरूप कमशः ₹ 46,84.19 करोड़ (11.17 प्रतिशत) तथा ₹ 7,53.55 करोड़ (31.53 प्रतिशत) की कुल बचत उक्त पर परिलक्षित हुई। सकल वास्तविक व्यय में ₹ 9.90 करोड़ के व्यय भी सम्मिलित हैं जो सार आकस्मिक देयकों (AC bills) के माध्यम से आहरित किए गए। ₹ 8.06 करोड़ के सार आकस्मिक देयकों के व्यय विस्तृत आकस्मिक देयकों (DC bills) के अभाव में वित्तीय वर्ष के अन्त तक असमायोजित थे।

## 1.4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

### 1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता को बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम सहमति रोकड़ शेष (₹ 0.16 करोड़) की कमी पर अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने 275 दिनों तक बिना कोई अग्रिम लिए, 90 दिनों तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखा। वर्ष 2016-17 के दौरान अधिविकर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी।

### 1.4.2 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व घाटा ₹ 3,82.53 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 54,66.95 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का कमशः 0.20 प्रतिशत और 2.80 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय (₹ 3,03,90.77 करोड़) का 17.99 प्रतिशत है। इस घाटे में शुद्ध लोक ऋण (₹ (+) 53,73.27 करोड़), शुद्ध लोक लेखा (₹ (+) 10,80.42 करोड़), शुद्ध आकस्मिकता निधि (₹ (+) 1,67.07 करोड़) तथा शुद्ध रोकड़ शेष (₹ (-) 11,53.81 करोड़) सम्मिलित है। राज्य

सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,48,88.97 करोड़) का लगभग 63.37 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 86,69.59 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 37,23.05 करोड़) और पेंशन (₹ 31,70.28 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 2,07.99 करोड़) पर व्यय किया गया।


सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम प्राक्कलन ₹ 19,51.92.21 करोड़ है। (उत्तराखण्ड सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा घोषित)।

### स्रोत एवं निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)


	विवरण	धनराशि
	01.04.2016 को आरम्भिक रोकड़ शेष	3.84
	राजस्व प्राप्तियाँ	2,48,88.97
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	34.85
	लोक ऋण	1,05,91.95
	अल्प बचतें, भविष्य निधि एवं अन्य	15,28.82
स्रोत	आरक्षित एवं ऋण शोधन निधियाँ	2,80.00
	जमा प्राप्तियाँ	31,47.47
	सिविल अग्रिम अदायगी	1,29.23
	उच्चन्त लेखा	4,73,42.91
	प्रेषण	(-) 63,09.40
	आकस्मिकता निधि	3,94.77
	<b>योग</b>	<b>8,20,33.41</b>
	राजस्व व्यय	2,52,71.50
	पूँजीगत व्यय	49,54.22
	दिया गया ऋण	1,65.05
	लोक ऋण का पुर्नभुगतान	52,18.68
	अल्प बचतें, भविष्य निधि एवं अन्य	11,16.13
उपयोग	आरक्षित एवं ऋण शोधन निधियाँ	4,16.63
	खर्च किये गये जमा	32,82.76
	दिया गया सिविल अग्रिम	1,29.25
	उच्चन्त लेखा	4,63,99.89
	प्रेषण	(-) 63,06.05
	आकस्मिकता निधि	2,27.70
	31.03.2017 तक अन्तिम रोकड़ शेष	11,57.65
	<b>योग</b>	<b>8,20,33.41</b>

### 1.4.3 धन प्राप्ति के स्रोत



टिप्पणी: उपरोक्त में आकस्मिकता निधि, लोक लेखे एवं रोकड़ शेष घटकों को शुद्ध राशि में लिया गया है न कि सकल में, जैसा कि स्रोत एवं उपयोग सारणी में दिखाया गया है।

### 1.4.4 धन व्यय के साधन



टिप्पणी: उपरोक्त में आकस्मिकता निधि, लोक लेखे एवं रोकड़ शेष घटकों को शुद्ध राशि में लिया गया है न कि सकल में, जैसा कि स्रोत एवं उपयोग सारणी में दिखाया गया है।

## 1.5 लेखे के मुख्य अंश

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2016-17	बजट अनुमान से वास्तविक आँकड़ों का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) से वास्तविक आँकड़ों का प्रतिशत
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (आ)	1,81,31.13	1,73,08.88	95.46	8.87
2. करेत्तर राजस्व	27,93.43	13,45.82	48.18	0.69
3. सहायक अनुदान एवं अंशदान	1,13,51.31	62,34.27	54.92	3.19
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	3,22,75.87	2,48,88.97	77.11	12.75
5. मुख्य लेखा शीर्ष-4000 के अन्तर्गत पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	...	...	...
6. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	41.13	34.85	84.73	0.02
7. उधार एवं अन्य दायित्व (इ)	60,72.97	54,66.95	90.02	2.80
8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	61,14.10	55,01.80	89.99	2.82
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	3,83,89.97	3,03,90.77	79.16	15.57
10. आयोजनेत्तर व्यय	2,24,58.37	1,99,04.91	88.63	10.20
11. राजस्व लेखे पर आयोजनेत्तर व्यय	2,22,50.37	1,89,27.54	85.07	9.70
12. ब्याज अदायगी एवं सेवा ऋण पर आयोजनेत्तर व्यय (11 में से)	40,06.06	37,83.05	94.43	1.94
13. पूँजीगत लेखे पर आयोजनेत्तर व्यय	2,08.00	9,77.36	4,69.88	0.50
14. आयोजनागत व्यय	1,59,31.60	1,04,85.86	65.82	5.37
15. राजस्व लेखे पर आयोजनागत व्यय	1,00,00.02	63,43.96	63.44	3.25
16. पूँजीगत लेखे पर आयोजनागत व्यय	59,31.58	41,41.90	69.83	2.12
17. कुल व्यय (10+14)	3,83,89.97	3,03,90.77	79.16	15.57
18. राजस्व व्यय (11+15)	3,22,50.39	2,52,71.50	78.36	12.95
19. पूँजीगत व्यय (13+16) (ई)	61,39.58	51,19.27	83.38	2.62
20. राजस्व घाटा (-) राजस्व अधिक्य (+) (4-18)	(+) 25.47	(-) 3,82.53	(-) 15,01.88	(-) 0.20
21. राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	(-) 60,72.97	(-) 54,66.95	90.02	(-) 2.80

(अ) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आँकड़ा (आधार वर्ष 2011-12) उत्तराखण्ड सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए घोषित अग्रिम प्राकलन ₹ 19,51,92.21 करोड़ है।

(आ) संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 64,11.57 करोड़ सम्मिलित।

(इ) निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) लोक ऋण, शुद्ध आकस्मिकता निधि, शुद्ध लोकलेखा, शुद्ध आरम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष, आकस्मिकता निधि को अन्तरण।

(ई) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय ₹ (49,54.22 करोड़) और ऋण एवं अग्रिम संवितरण ₹ (1,65.05 करोड़) सम्मिलित है।

## 1.6 घाटा और आधिक्य क्या दर्शाते हैं?


घाटा	राजस्व और व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे के प्रकार, घाटे को कैसे पूरा किया जाये तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबन्धन की समझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को स्पष्ट करता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की मौजूदा स्थापना को बनाये रखने के लिए होती है, आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय (उधारों को छोड़कर) के अन्तर को स्पष्ट करता है। इसलिए यह अन्तर यह स्पष्ट करता है कि किस सीमा तक व्यय की पूर्ति उधार से की जाये। आदर्शतः उधार पूँजीगत परियोजनाओं में विनिवेशित किये जाने चाहिए।

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि एवं व्यय प्रबन्धन शासन के राजकोषीय प्रदर्शन को परखने के मुख्य मापदण्ड हैं। समुचित वित्तीय प्रबन्धन एवं समझ हेतु उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किया है तथा इसका संशोधन वर्ष 2011, एवं 2016 में किया गया तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार 1 अप्रैल 2011 से राजस्व घाटे को कम करके 31 मार्च 2015 तक खत्म कर देगी; तत्पश्चात राजस्व बचत करेगी।


वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार संशोधित एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2016 में अनुमानित राजस्व आधिक्य प्राप्त नहीं कर सकी परिणामस्वरूप ₹ 3,82.53 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 19,51,92.21 करोड़ का 0.20 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा ₹ 54,66.95 करोड़ जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 19,51,92.21 करोड़ का 2.80 प्रतिशत था एवं राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2016 में दिये गये के अनुसार 3 प्रतिशत लक्ष्य के अन्दर था।




### 1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य की प्रवृत्ति



### 1.6.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति



### 1.6.3 पूँजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अंश



वित्तीय समझदारी ये है कि उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन करने में किया जाये। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन निधियों का उपयोग समान नहीं रहा। वर्ष 2013-14, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान सभी उधार निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन करने में नहीं किया गया।



## प्राप्तियाँ

### 2.1 प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,48,88.97 करोड़ थी।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियाँ


कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अनुसार राज्यों द्वारा वसूले गये एवं संघीय करों से राज्यांश को प्राप्त करना सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	इसमें ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि सम्मिलित हैं।
सहायक अनुदान	यह एक केन्द्रीय सहायता है जो संघ सरकार राज्य सरकार को प्रदान करती है जिसमें "बाह्य अनुदान/सहायता" एवं "सहायता सामग्री एवं उपस्कर" जो विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संघ सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होती है, सम्मिलित है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार भी संस्थाओं को जैसे पंचायती राज संस्थाएँ, स्वायत्त संस्थाएँ इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

#### 2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2016-17)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत
<b>क. कर राजस्व*</b>	<b>1,73,08.87</b>	<b>69.54</b>
आय एवं व्यय पर कर	35,14.39	14.12
संपत्ति, पूँजीगत एवं अन्य लेनदेनों पर कर	9,41.80	3.78
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	1,28,52.68	51.64
<b>ख. करेत्तर राजस्व</b>	<b>13,45.82</b>	<b>5.41</b>
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	86.97	0.35
सामान्य सेवायें	1,78.40	0.72
सामाजिक सेवायें	2,53.61	1.02
आर्थिक सेवायें	8,26.84	3.32
<b>ग. सहायता अनुदान एवं अशंदांन</b>	<b>62,34.27</b>	<b>25.05</b>
<b>योग- राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>2,48,88.97</b>	<b>100.00</b>

\*भारत सरकार से प्राप्त राज्य की समनुदेशित शुद्ध आय का भाग सम्मिलित है।



### 2.2.2 राजस्व कर के मुख्य घटक

घटक	वास्तविक	सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	71,53.76	3.66
निगम कर	20,56.02	1.05
आय पर निगम कर से भिन्न कर	14,28.94	0.73
राज्य उत्पाद शुल्क	19,05.54	0.98
सेवा कर	10,27.52	0.53
संघ उत्पाद शुल्क	10,09.94	0.52
सीमा शुल्क	8,84.42	0.45
वाहन कर	5,56.40	0.29
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	7,77.58	0.40

वर्ष के दौरान शुद्ध कर राजस्व अनुमति बजट से ₹ 8,22.25 करोड़ कम था। मुख्य भिन्नताएं नीचे दी गई हैं:-

जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से कम हैं		जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से ज्यादा हैं	
बिक्री, व्यापार पर कर	1,69.57	निगम कर	1,67.22
आय पर निगम कर से भिन्न कर	34.82	होटल प्राप्ति कर	4.13
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,24.76	भू-राजस्व	1,32.75
राज्य उत्पाद शुल्क	2,93.73	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2,58.00
वाहन कर	53.60	सेवा कर	58.63
विद्युत पर कर तथा शुल्क	1,61.44	सम्पदा पर कर	4.71
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2,53.15		
सीमा शुल्क	56.71		

## 2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर राजस्व	96,87 (7)	1,09,29(7)	1,21,31(8)	1,47,11(8)	1,73,09(9)
करेत्तर राजस्व	16,03 (1)	13,17 (1)	11,10 (1)	12,20 (1)	13,46(1)
सहायक अनुदान	44,57 (3)	50,75 (3)	70,05 (4)	53,03(3)	62,34 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,57,47 (12)	1,73,21 (12)	2,02,47 (13)	2,12,34 (12)	2,48,89 (13)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011-12)	13,16,13	14,90,74	16,14,39	17,61,71	19,51,92#

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं।

(#) अग्रिम अनुमान

उत्तराखण्ड राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2012-13 में ₹ 13,16,13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 ₹ 19,51,92 करोड़ (पूर्वानुमान चालू मूल्यों पर-आधार वर्ष 2011-12) हुआ तथा इसमें 48.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ 58.06 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 1,57,47 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 2,48,89 करोड़ हुई। राजस्व प्राप्तियों के घटकों ने वृद्धि दर्शाई तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अपना अंश बनाये रखा। (कर राजस्व जी.एस. डी.पी. का 7-9 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व (जी.एस.डी.पी. का 1 प्रतिशत) और सहायक अनुदान (जी.एस.डी.पी. का 3-4 प्रतिशत)।



## क्षेत्रवार कर राजस्व


(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आय एवं व्यय पर कर	18,97 (1.44)	20,11 (1.35)	22,92 (1.41)	28,64 (1.63)	35,14 (1.80)
संपत्ति, पूंजीगत एवं अन्य लेनदेनों पर कर	6,61 (0.50)	7,12 (0.48)	7,57 (0.47)	8,99 (0.51)	9,42 (0.48)
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	71,29 (5.42)	82,06 (5.50)	90,82 (5.63)	1,09,48 (6.21)	1,28,53 (6.58)
कुल राजस्व कर	96,87 (7.36)	1,09,29 (7.33)	1,21,31 (7.51)	1,47,11 (8.35)	1,73,09 (8.86)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े राज्य सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात को दर्शाते हैं।

कर राजस्व के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गयी।

(₹ करोड़ में)



(\*) मुख्यतः राज्य को समनुदेशित केन्द्रांश

## 2.4 स्वयं के कर राजस्व संग्रह में राज्य का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करो में राज्य का अंश	राज्य का अपना कर राजस्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012-13	96,87	32,73	64,14	5
2013-14	1,09,29	35,73	73,56	5
2014-15	1,21,31	37,92	83,39	5
2015-16	1,47,11	53,33	93,78	5
2016-17	1,73,09	64,12	1,08,97	6

वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में राज्य के स्वयं कर राजस्व तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश 5 प्रतिशत था तथा वर्ष 2016-17 में 6 प्रतिशत था।

## 2.5 कर संग्रह की दक्षता

अ. संपत्ति, पूंजीगत एवं अन्य लेन-देनों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व संग्रहण	6,61	7,12	7,57	8,99	9,42
संग्रहण पर व्यय	1,41	1,54	2,05	2,01	1,89
कर संग्रहण दक्षता का प्रतिशत	21	22	27	22	20

आ. वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व संग्रह	71,29	82,06	90,82	1,09,48	1,28,53
संग्रहण पर व्यय	61	78	1,91	3,11	2,21
कर संग्रहण दक्षता का प्रतिशत	1	1	2	3	2

वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, कर राजस्व का बड़ा अंश है। कर संग्रहण दक्षता अच्छी है।

## 2.6 पिछले पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निगम कर	11,76	12,02	13,24	16,77	20,56
आय पर निगम कर से भिन्न कर	7,04	7,91	9,46	11,63	14,29
सीमा शुल्क	5,44	5,83	6,13	8,55	8,84
संघीय उत्पाद शुल्क	3,70	4,12	3,46	7,14	10,10
सेवा कर	4,78	5,82	5,59	9,20	10,28
सम्पत्ति पर कर	2	3	4	0*	5
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	..	..	..	4	2
<b>संघीय कर में राज्य का अंश</b>	<b>32,73</b>	<b>35,73</b>	<b>37,92</b>	<b>53,33</b>	<b>64,12</b>
<b>कर राजस्व का योग</b>	<b>96,87</b>	<b>1,09,29</b>	<b>1,21,31</b>	<b>1,47,11</b>	<b>1,73,09</b>
<b>कुल राजस्व से संघीय कर का प्रतिशतता</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>37</b>

14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक राज्य की हिस्सेदारी साझा करने योग्य केन्द्रीय करों (सेवा कर को छोड़कर) की शुद्ध आय में, केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल की 1.052 प्रतिशत तथा सेवा कर में, सेवा कर के विभाज्य पूल की 1.068 प्रतिशत होगी। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 53,84.05 करोड़ समुदेशित शुद्ध आय के भाग के रूप में प्राप्त किया जिसमें सेवा कर ₹ 10,27.52 करोड़ सम्मिलित नहीं है।


## 2.7 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करता है, तथा यह राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं एवं योजना आयोग से अनुमोदित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं नीति आयोग द्वारा अनुमोदित एवं राज्य आयोजनेत्तर अनुदानों को वित्त आयोग द्वारा संस्तुत, सम्मिलित करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान, सहायक अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹ 62,34 करोड़ थी जिसे नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयोजनेत्तर अनुदान	राज्य आयोजनागत योजना	केन्द्रीय आयोजनागत योजना	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
2015-16	10,43	11,73	6,09	24,79
2016-17	8,24	15,32	8,43	30,35





वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना, तथा राज्य आयोजनागत अनुदान और केन्द्रीय आयोजनागत योजना के अंश में वर्ष 2015-16 की तुलना में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई तथा ₹ 42,60.94 करोड़ से बढ़कर ₹ 54,10.55 करोड़ हो गया, जबकि आयोजनेत्तर अनुदान के अंश में 21.01 प्रतिशत की कमी हुई तथा यह ₹ 10,42.85 करोड़ से घटकर ₹ 8,23.72 करोड़ रह गया।

## 2.8 लोक ऋण

5 वर्षों में लोक ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आन्तरिक ऋण	14,89	25,73	36,47	47,36	52,63
केन्द्रीय ऋण	6	(-) 16	33	66	1,11
कुल लोक ऋण	14,95	25,57	36,80	48,02	53,74

नोट:- ऋणात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि पुर्नभुगतान प्राप्तियों से अधिक है।

वर्ष 2016-17 में ₹ 54,50.00 करोड़ के कुल 10 (दस) ऋण 6.97 प्रतिशत से 8.06 प्रतिशत के भिन्नात्मक ब्याज दरों पर उठाये गये जो वर्ष 2026 तक शोधनीय थे।

वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,05,92 करोड़ थी। इसमें से ₹ 52,19 करोड़ के ऋणों का भुगतान करने हेतु उपयोग किया गया तथा विकास कार्यों हेतु मात्र ₹ 53,74 (50.74 प्रतिशत) करोड़ शेष रहे। इसमें से केवल ₹ 49,54 करोड़ का पूँजीगत व्यय हुआ जो यह दर्शाता है कि सम्पूर्ण लोक ऋण को विकास कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया।



## व्यय

### 3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय संगठन के संचालन हेतु दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूँजीगत व्यय स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन, या इस प्रकार की परिसम्पत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थाई देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है। व्ययों को पुनः आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवाएँ	इसमें पुलिस, भू-राजस्व, न्याय, कारागार, लोक निर्माण, पेंशन आदि सेवाएं सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवाएँ	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कल्याण आदि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवाएँ	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, यातायात आदि सम्मिलित हैं।

### 3.2 राजस्व व्यय

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय के अन्तर्गत कम संवितरण होने के कारण वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व व्यय ₹ 2,52,72 करोड़ अनुमानित बजट से ₹ 69,78 करोड़ कम था। पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत बजट अनुमान के विरुद्ध व्यय में कमी को नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	1,57,17	1,80,54	2,37,92	2,57,39	3,22,50
वास्तविक	1,39,60	1,62,16	2,11,64	2,30,86	2,52,72
अन्तर	17,57	18,38	26,28	26,53	69,78
अन्तर का बजट अनुमान से प्रतिशतता	11	10	11	10	22


वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 3,83 करोड़ था। यद्यपि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा लगभग 62 प्रतिशत वचनबद्ध व्ययों जैसे वेतन (₹ 86,70 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 37,23 करोड़), पेंशन अदायगियाँ (₹ 31,70 करोड़) और सब्सिडी (₹ 2,08 करोड़) पर व्यय किया गया। पिछले 5 वर्षों में वचनबद्ध/अवचनबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय	1,39,60	1,62,16	2,11,64	2,30,86	2,52,72
वचनबद्ध राजस्व व्यय (*)	93,42	1,06,42	1,23,76	1,36,58	1,57,71
अवचनबद्ध राजस्व व्यय	46,18	55,74	87,88	94,28	95,01

(\*) वेतन, ब्याज अदायगियाँ, पेंशन अदायगियाँ, सब्सिडी सम्मिलित है।

### 3.2.1 राजस्व व्यय के मुख्य घटक



(अ) सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत मुख्य “लेखा शीर्ष 2048 – ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन” तथा “लेखा शीर्ष 2049– ब्याज भुगतान” सम्मिलित नहीं है तथा इसमें मुख्य लेखा शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन) सम्मिलित किया गया है।

### 3.2.2 राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण (2016-17)

(₹ करोड़ में)

घटक	धनराशि	प्रतिशत
अ. सामान्य सेवायें	99,34.09	39.31
क. राज्य के अंग	3,10.90	1.23
ख. राजकोषीय सेवायें	4,15.76	1.65
ख (i) संपत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रह	1,89.34	0.75
ख (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रह	2,21.31	0.88
ख (iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	5.11	0.02
ग. ब्याज अदायगियां एवं ऋण सेवायें	37,83.05	14.97
घ. प्रशासनिक सेवायें	22,54.10	8.92
ङ. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	31,70.28	12.54
ब. सामाजिक सेवायें	1,05,28.57	41.66
स. आर्थिक सेवायें	39,02.66	15.44
द. सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,06.18	3.59
<b>कुल व्यय (राजस्व लेखे)</b>	<b>2,52,71.50</b>	<b>1,00.00</b>

### 3.3 पूंजीगत व्यय

वर्ष 2016-17 के लिए पूंजीगत व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.54 प्रतिशत था, जो अनुमानित बजट से ₹ 10,20.31 करोड़ कम था। (आयोजनागत व्यय में ₹ 17,89.68 करोड़ कम संवितरण एवं आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 7,69.36 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया।)

#### 3.3.1 पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 2,88.00 करोड़ व्यय किये (मुख्य सिंचाई पर ₹ 2,05 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 3 करोड़ और लघु सिंचाई पर ₹ 80 करोड़)। इसके अलावा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर ₹ 1,77 करोड़, बिजली परियोजनाओं पर ₹ 1,32 करोड़ एवं सड़कों एवं पुलों पर ₹ 13,63 करोड़ व्यय किए। वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने विभिन्न कम्पनियों, निगमों इत्यादि में भी ₹ 1,66 करोड़ का निवेश किया।


(₹ करोड़ में)

क्रम सख्यां.	सेक्टर	धनराशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवायें- पुलिस भू राजस्व इत्यादि	72	1.41
2.	सामाजिक सेवायें- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति इत्यादि का कल्याण	9,48	18.52
3.	आर्थिक सेवायें- कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, यातायात इत्यादि	39,34	76.85
4.	ऋण एवं अग्रिम का भुगतान	1,65	3.22
योग		51,19	1,00.00

### 3.3.2 पिछले 5 वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)


क्रम सं.	सेक्टर	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	सामान्य सेवायें	1,29	1,38	2,14	1,11	72
2.	सामाजिक सेवायें	7,15	8,41	12,31	8,64	9,48
3.	आर्थिक सेवायें	26,98	27,33	34,94	32,42	39,34
4.	ऋण एवं अग्रिम	2,73	2,78	1,49	83	1,65
योग		38,15	39,90	50,88	43,00	51,19



**IV**  
अध्याय


## आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय

### 4.1 व्ययों का वितरण (2016-17)




### 4.2 आयोजनेत्तर व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय ₹ 1,99,05 करोड़, कुल व्यय ₹ 3,03,91 करोड़ का 65 प्रतिशत था। (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 1,89,28 करोड़ एवं पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत ₹ 8,78 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 99 करोड़ व्यय किया गया)।



### 4.3 आयोजनागत व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजनागत व्यय ₹ 1,04,86 करोड़, कुल व्यय ₹ 3,03,91 करोड़ का 35 प्रतिशत था। (राज्य आयोजनागत के अन्तर्गत ₹ 69,73 करोड़, केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत के अन्तर्गत ₹ 34,47 करोड़ ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 66 करोड़ व्यय हुए)।



#### 4.3.1 पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)


	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल पूँजीगत व्यय	35,42	37,12	49,39	42,17	49,54
पूँजीगत व्यय (आयोजनागत)	29,72	31,38	47,79	41,97	40,76
पूँजीगत व्यय (आयोजनागत) का कुल पूँजीगत व्यय से प्रतिशत	84	85	97	1,00	82

#### 4.3.2 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय

ऋण एवं अग्रिम का महत्वपूर्ण संवितरण नीचे दिया गया है:

मुख्य लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ ₹ में)	उद्देश्य
6217- शहरी विकास हेतु ऋण	5.80	अल्मोडा नगरपालिका हेतु ऋण
6401- फसल कृषि कर्म हेतु ऋण	98.40	वाणिज्यिक फसलो हेतु ऋण
6801- विद्युत परियोजना हेतु ऋण	55.42	वाह्य सहायता (एडीबी) एवं नाबार्ड द्वारा पोषित विद्युत योजना को ऋण
7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण	4.18	बसों के क्य हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान

#### 4.4 वचनबद्ध व्यय



(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वचनबद्ध व्यय	93,42	1,06,42	1,23,75	1,36,58	1,57,71
राजस्व व्यय	1,39,60	1,62,16	2,11,64	2,30,86	2,52,72
राजस्व प्राप्तियाँ	1,57,47	1,73,21	2,02,47	2,12,34	2,48,89
वचनबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	59	61	61	64	63
वचनबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	67	66	58	59	62

वर्ष 2012-13 से वचनबद्ध व्ययों में अधिक बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति रही है। इसमें वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और राजस्व व्यय से इसका अंश 58 से 67 प्रतिशत के बीच रहा। इसके कारण राज्य सरकार के पास विकासात्मक कार्यों के लिए धन की कमी रही।





## विनियोग लेखे

### 5.1 वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे का सारांश

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन राज्य विधान सभा द्वारा पारित किए गए विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुए 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत है।

राज्य के वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे के अनुसार वास्तविक व्यय ₹ 3,72,45.89 करोड़ के अन्तर्गत ₹ 2,52,72.36 करोड़ राजस्व व्यय, ₹ 65,89.80 करोड़ पूंजीगत व्यय, ₹ 52,18.68 करोड़ लोक ऋण का भुगतान, ₹ 1,65.05 करोड़ ऋण एवं अग्रिम हुआ है। इन प्रभागों के अन्तर्गत राज्य विधान सभा द्वारा अनुदान/विनियोग एवं वित्त विभाग द्वारा पारित अभ्यर्पण आदेशों के सापेक्ष बचत/आधिक्य निम्नवत है—

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	राजस्व दत्तमत भारत	2,81,43.15 41,07.25	8,35.38 8.98	4,50.00 31.22	2,85,28.53 40,85.01	2,14,27.68 38,44.68	(-) 71,00.85 (-)2,40.33
2	पूंजीगत दत्तमत भारत	57,39.36 5.00	6,47.71 0.00	1,60.94 0.00	62,26.13 5.00	65,87.90 1.90	(+)3,61.77 (-)3.10
3	लोक ऋण भारत	20,32.23	0.00	0.00	20,32.23	52,18.68	(+)31,86.45
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत योग	3,95.22	15.80	0.00	4,11.02	1,65.05	(-)2,45.97 (-)40,42.03

वास्तविक व्यय में पिछले वर्षों के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 0.84 करोड़ भी सम्मिलित हैं।

## 5.2 पिछले 5 वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/ आधिक्य (+)				सम्पूर्ण बचत (-)/ आधिक्य (+)
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	
2012-13	(-)18,89.84	(+)6,39.56	(-)8,09.76	(-)1,46.69	(-)22,06.73
2013-14	(-)40,46.36	(+)4,46.44	(-)6,70.67	(-)1,27.93	(-)43,98.52
2014-15	(-)59,02.83	(-)1,71.44	(-)6,83.74	(-)1,96.52	(-)69,54.53
2015-16	(-)46,64.04	(+) 9,88.15	(-)5,79.98	(-)88.95	(-)43,44.82
2016-17	(-)73,41.18	(+)3,58.67	(+)31,86.45	(-)2,45.97	(-)40,42.03

## 5.3 महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान में अत्यधिक बचत का होना, किसी योजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन न होना या क्रियान्वयन मन्द गति से होना व्यक्त करता है।

कुछ अनुदानों में हुई निरन्तर एवं महत्वपूर्ण बचतें (प्रतिशत में) निम्नतः हैं—

अनुदान सं०	नामांकन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
01	विधान सभा (पूँजीगत, दत्तमत)	89.43	45.64	17.65	92.16	49.14
04	न्याय प्रशासन (राजस्व, दत्तमत)	37.61	26.67	24.19	21.66	30.84
04	न्याय प्रशासन (पूँजीगत, दत्तमत)	17.90	31.77	56.63	40.36	80.55
04	न्याय प्रशासन (राजस्व, भारित)	20.62	21.02	23.51	26.86	53.85
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (पूँजीगत, दत्तमत)	17.87	51.04	54.55	33.27	91.32
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण (पूँजीगत, दत्तमत)	33.95	38.97	31.81	60.89	27.32
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (राजस्व, दत्तमत)	24.60	37.66	18.50	32.25	35.85
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (पूँजीगत, दत्तमत)	55.05	55.05	66.97	29.30	36.02
15	कल्याण योजनायें (राजस्व, दत्तमत)	27.08	22.47	24.30	26.65	30.34
15	कल्याण योजनायें (पूँजीगत, दत्तमत)	13.43	20.74	47.31	69.17	48.69

अनुदान सं०	नामांकन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
16	श्रम एवं रोजगार (राजस्व, दत्तमत)	32.26	19.66	27.77	40.60	32.93
21	ऊर्जा (पूँजीगत, दत्तमत)	38.73	52.55	73.40	47.88	65.34
25	खाद्य (राजस्व, दत्तमत)	60.24	89.43	52.45	38.88	45.50
26	पर्यटन (पूँजीगत, दत्तमत)	74.41	61.06	67.08	40.18	37.73
27	वन (पूँजीगत, दत्तमत)	28.26	27.76	14.16	41.63	39.03
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण (राजस्व, दत्तमत)	22.55	32.41	23.95	38.59	43.69
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण (पूँजीगत, दत्तमत)	56.34	55.60	52.83	43.10	36.27
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (राजस्व, दत्तमत)	23.89	30.80	32.49	37.66	40.10
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (पूँजीगत, दत्तमत)	57.27	58.12	25.98	52.49	50.24

वर्ष 2016-17 में ₹ 15,07.87 करोड़ (मूल अनुदान का 3.73 प्रतिशत) के अनुपूरक अनुदान कुछ दशाओं में जहाँ मूल आवंटन में ही वर्ष के अन्त में बचत रही, अनावश्यक सिद्ध हुए। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं—

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
01	विधान सभा	पूँजीगत, दत्तमत	15.20	5.00	10.27
02	राज्यपाल	राजस्व, भारित	8.92	3.33	7.44
04	न्याय प्रशासन	राजस्व, दत्तमत	1,69.55	7.71	1,22.58
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व, दत्तमत	26,63.58	2,03.23	15,81.83
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	पूँजीगत, दत्तमत	80.70	1.00	7.09
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	राजस्व, दत्तमत	59,36.34	2.22	49,18.03
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	पूँजीगत, दत्तमत	88.13	3,06.00	83.60

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व, भारित	23.42	5.55	19.48
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व, दत्तमत	15,75.88	13.95	14,40.06
10	पुलिस एवं जेल	पूँजीगत, दत्तमत	20.00	4.00	6.88
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व, दत्तमत	64,20.74	93.19	52,00.75
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व, दत्तमत	17,64.16	11.78	13,23.63
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	पूँजीगत, दत्तमत	3,78.79	1,05.53	3,09.87
15	कल्याण योजनाएं	राजस्व, दत्तमत	14,61.33	2,01.88	11,58.55
16	श्रम एवं रोजगार	राजस्व, दत्तमत	2,14.03	5.71	1,47.37
20	सिंचाई एवं बाढ़	पूँजीगत, दत्तमत	7,69.88	2.80	4,76.41
22	लोक निर्माण कार्य	पूँजीगत, दत्तमत	16,14.57	65.00	13,56.02
23	उद्योग	राजस्व, दत्तमत	2,09.48	21.10	1,24.18
24	परिवहन	पूँजीगत, दत्तमत	60.00	10.00	25.59
25	खाद्य	राजस्व, दत्तमत	3,47.27	30.00	2,05.60
27	वन	राजस्व, दत्तमत	6,46.38	2.00	4,38.31
27	वन	पूँजीगत, दत्तमत	1,55.15	10.00	1,00.69
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व, दत्तमत	2,58.99	18.69	2,03.81
29	औद्योगिक विकास	राजस्व, दत्तमत	2,53.14	6.54	2,10.21
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व, दत्तमत	12,28.68	12.43	6,98.90
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	पूँजीगत, दत्तमत	3,23.23	2.00	2,07.28
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व, दत्तमत	3,40.89	3.60	2,06.34
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	पूँजीगत, दत्तमत	1,14.12	5.00	59.27



## परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ

### 6.1 परिसम्पत्तियाँ

भूमि के अधिग्रहण/क्रय करने के वर्ष के अतिरिक्त लेखे की मौजूदा प्रणाली शासकीय परिसम्पत्तियों जैसे भूमि भवन इत्यादि का आसानी से मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं करती है। इसी के समरूप जब लेखे चालू वर्ष में दायित्व के प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं, वे सिवाय ब्याज दरों एवं मौजूदा ऋण की अवधि के अतिरिक्त, दायित्वों के भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रभावों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

#### 6.1.1 निवेश एवं लाभ

वर्ष 2016-17 के अन्त में गैर वित्तीय लोक क्षेत्र उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में विनिवेश ₹ 31,24 करोड़ था। वर्ष 2016-17 के दौरान, निवेश में ₹ 2,10 करोड़ की वृद्धि हुई जिसमें उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अनाबंटित शेषों के आबंटन के कारण प्राप्त ₹ 43 करोड़ की राशि सम्मिलित हैं। जबकि इन निवेशों से प्राप्त लाभांश ₹ 15.21 करोड़ था। निवेश मुख्यतः उर्जा के क्षेत्र में किये गये।

#### 6.1.2 रोकड़ शेष एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष निवेश

रोकड़ शेष ₹ 11,53.81 करोड़ की बढ़ोत्तरी के साथ मार्च 2017 के अन्त तक ₹ 11,57.65 करोड़ रहा।

घटक	1 अप्रैल 2016 को	31 मार्च 2017 तक	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	3.84	11,57.65	(+)11,53.81
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषगार देयकों से)	3,44.74	4,51.51	(+) 1,06.77
उद्दिष्ट निधि के शेष से निवेश	11,28.62	11,88.62	(+) 60.00
(अ) ऋण शोधन निधि	11,03.62	11,53.62	(+) 50.00
(ब) गारंटी मोचन निधि	25.00	35.00	(+)10.00
(स) अन्य निधियाँ	...	...	...
अवमुक्त ब्याज	37.56	24.06	(-) 13.50

वर्ष 2016-17 के अन्त तक राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष सकारात्मक रहा। वर्ष 2016-17 के अन्त तक राज्य सरकार ने उद्दिष्ट निधि से ₹ 11,88.62 करोड़ का निवेश किया।

### 6.1.3 राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2016-17 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ऋण एवं अग्रिम ₹ 17,26.65 करोड़ दिये गये। इसमें से ₹ 2,72.68 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम सरकारी निगमों/कम्पनियों को दिये गये तथा वाणिज्यिक फसलों हेतु ₹ 8,81.08 करोड़ दिये गये। देय मूलधन एवं ब्याज की धनराशियों का अलग अलग विवरण उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,65.05 करोड़ का संवितरण किया गया। अवधि के दौरान ₹ 34.45 करोड़ वापस किये गये।

### 6.2 ऋण एवं देयताएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकार विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर ऐसी निर्धारित सीमा तक, यदि कोई हो, राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है।


राज्य सरकार के लोक ऋण एवं कुल दायित्वों का वितरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा (*)	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल देयताएँ	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2012-13	1,87,99	14	67,41	5	2,55,40	19
2013-14	2,13,55	14	74,12	5	2,87,67	19
2014-15	2,50,35	16	84,46	5	3,34,81	21
2015-16	2,98,36	17	91,96	5	3,90,32	22
2016-17	3,52,10	18	93,73	5	4,45,83	23

(\*) उच्चत एवं प्रेषण अवशेषों को छोड़कर।

नोट: आंकड़ें वर्ष के अन्त में प्रगामी शेष हैं।



वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार के लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों में ₹ 55,51 करोड़ (14 प्रतिशत) की शुद्ध वृद्धि हुई। लोक ऋण में वृद्धि के कारण ये दायित्व वर्ष 2015-16 में ₹ 3,90,32 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 4,45,83 करोड़ हो गये। वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक कुल दायित्व, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में अत्यल्प वृद्धि हुई।

(\* ) बिना ब्याज की देयताएँ जैसे स्थानीय निधि में जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा बाजार से ऋण लिए जाने की सीमा निर्धारित करती है।

### 6.3 प्रत्याभूतियाँ

सीधे तौर पर ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा उठाये गये ऋणों की भी गारंटी देती है। ये गारंटी राज्य बजट के बाहर से पेश की जाती है। राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि के ऋणों के भुगतान तथा इस पर ब्याज के भुगतान हेतु दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त तक	अधिकतम प्रत्याभूति धनराशि (मूलधन) मात्र	अधिशेष धनराशि 31 मार्च 2017	
		मूलधन	ब्याज
2012-13	27,22(*)	15,70	सूचना उपलब्ध नहीं है
2013-14	25,13(*)	14,75	सूचना उपलब्ध नहीं है
2014-15	29,51(*)	18,32	सूचना उपलब्ध नहीं है
2015-16	28,05(*)	17,43	सूचना उपलब्ध नहीं है
2016-17	28,05(*)	12,58	सूचना उपलब्ध नहीं है

(\* ) राज्य सरकार से प्राप्त आंशिक सूचना के आधार पर गणना की गई है।



## अन्य मदें

### 7.1 स्थानीय निकायों तथा अन्यो को वित्तीय सहायता

पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायक अनुदान वर्ष 2012-13 में ₹ 4,96.87 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 9,06.18 करोड़ हो गया। नगर निगम, नगर पालिकाओं, जिला पंचायत तथा नगर पंचायतों को दिया गया अनुदान (₹ 4,92.53 करोड़) वर्ष के दौरान दिये गये कुल अनुदानों का 54.35 प्रतिशत था।

पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए सहायक अनुदान का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नगर निगम	नगर पालिका	जिला परिषदें	नगर पंचायत	अन्य	योग
2012-13	64.68	1,53.07	77.94	88.53	1,12.65	4,96.87
2013-14	1,08.39	1,29.85	1,27.28	82.95	2,19.93	6,68.40
2014-15	1,19.97	1,36.24	1,08.40	1,23.96	1,92.70	6,81.26
2015-16	1,17.63	1,37.11	97.00	79.37	3,35.46	7,66.57
2016-17	1,46.06	1,60.11	94.76	91.60	4,13.65	9,06.18

### 7.2 लेखाओं का मिलान

अन्य बातों के साथ-साथ लेखाओं की परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता विभागों से उपलब्ध आँकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक0) में संकलित लेखाओं से प्राप्त आँकड़ों से मिलान पर निर्भर करती है। इस अभ्यास का संचालन सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसे मिलान 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों में से 32 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (51.61 प्रतिशत) ने ₹ 2,42,65.73 करोड़ (कुल व्यय ₹ 3,02,25.72 करोड़ का 80.28 प्रतिशत) का और 48 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों में से 8 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (16.67



प्रतिशत) ने ₹ 2,14,82.01 करोड़ (कुल प्राप्तियां ₹ 2,48,88.97 करोड़ का 86.31 प्रतिशत) का पूर्ण रूप से किया।

विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रक अधिकारियों के लेखाओं के मिलान की स्थिति निम्न है:

विवरण	मुख्य नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां	48	8	4	36
व्यय	62	32	18	12

मिलान में व्यतिक्रमी विभागों की सूची निम्न है:

क्रम सं.	विभाग का नाम/ मुख्य नियंत्रण अधिकारी	लेन-देन का स्वरूप	वर्ष/वर्षों से लम्बित
1.	आयुक्त राहत, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	व्यय	2013-14 से 2016-17
2.	प्रधान सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	व्यय	2013-14 से 2016-17
3.	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन	व्यय	2013-14 से 2016-17
4.	सचिव, लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार	व्यय	2013-14 से 2016-17

### 7.3 व्यय का प्रवाह

विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के सिद्धांत विहित करते हैं कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाले व्यय को वित्तीय नियमितताओं की अनदेखी माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। यद्यपि मार्च 2017 के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय ₹ 8,89.55 करोड़ (जो कुल पूंजीगत व्यय का ₹ 49,54.22 करोड़ का 17.96 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय ₹ 28,44.51 करोड़ (जो कुल राजस्व व्यय ₹ 2,52,71.50 का 11.26 प्रतिशत) व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त मार्च 2017 में ₹ 5,73.25 करोड़ जो कुल व्यय का 1.90 प्रतिशत था, का लोक लेखे में हस्तान्तरण हुआ। मुख्य लेखा शीर्षों का ब्यौरा जहां पर्याप्त भाग (सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) मार्च 2017 में व्यय किया गया है जो अगले पृष्ठ पर दिया गया है—

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष		वर्षिक व्यय 2016-17	माह मार्च 2017 में व्यय	कुल व्यय से व्यय का प्रतिशत
2015	निर्वाचन	56.76	28.52	50.25
2216	आवास	2.96	2.29	77.36
2408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण	1,97.71	1,71.51	86.75
2711	बाढ़ नियंत्रण एवं निकास	4.52	2.53	55.97
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.21	0.21	1,00.00
4211	परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	0.06	0.06	1,00.00
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,10.48	70.56	63.87
4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	5.17	5.12	99.03
5053	नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	9.57	9.38	98.01

मार्च माह में महत्वपूर्ण व्यय/स्थानान्तरण यह दर्शाता है कि व्यय मुख्यतः बजट प्रावधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है तथा अप्रत्यात बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

## 7.4 लेखा भेजने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के 20 जिला कोषागारों द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तराखण्ड को अपने लेखे प्रस्तुत किये। सभी लेखे समय पर प्रस्तुत किये।
- मार्च 2017 को लोक निर्माण विभाग के खण्डों की कुल संख्या 200 थी। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त लेखाओं की संख्या 2355 थी, इनमें से 541 लेखे देरी से प्राप्त हुए। देरी 1 से 8 दिनों की रही।
- सभी 32 वेतन एवं लेखा कार्यालयों ने अपने 308 लेखे समय पर भेजे।
- वर्ष 2016-17 के दौरान वन विभाग के कुल 55 खण्डों ने 660 लेखे भेजे। 132 लेखे देरी से प्राप्त हुए। देरी 1 से 10 दिनों की रही।

## 7.5 सहायक अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के अर्न्तगत अनुदान जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया है, का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान दाता से लिया जाना चाहिए, जिसे सत्यापन के बाद यदि अन्यथा न दिया गया हो, तो उनकी स्वीकृति तिथि से 12 माह के अन्दर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार विभिन्न निकायों को विभिन्न योजनाओं तथा उद्देश्यों के लिए सहायक अनुदान प्रदान करती है। निर्दिष्ट अवधि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का असमायोजित रहना इच्छित उद्देश्य के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव का संकेत है। इसके अलावा, अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के कारण लेखे में दर्शाया गया व्यय अन्तिम नहीं माना जा सकता और न ही इसकी पुष्टि की जा सकती है कि धन उसी उद्देश्य पर व्यय किया गया जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था।

31 मार्च 2017 तक असमायोजित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि (करोड़ ₹ में)
2014-15 तक	142	1,86.79
2015-16	82	1,40.56
2016-17#	129	1,62.69
<b>योग</b>	<b>353</b>	<b>4,90.04</b>

# जहां स्वीकृति आदेश अन्यथा निर्दिष्ट करता है के सिवाय, वर्ष 2016-17 के दौरान आहरित सहायक अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल 2017-18 में ही देय होंगे।

## 7.6 सार आकस्मिक बिल /ब्यौरेवार आकस्मिक बिल

जब धन की आवश्यकता अग्रिम रूप में होती है या जब आहरण एवं वितरण अधिकारी धन की वास्तविक आवश्यकता की गणना करने में असमर्थ होता है तो वे आधारभूत दस्तावेजों के बिना ही धन का आहरण सार आकस्मिक व्यय बिलों के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे सार आकस्मिक व्यय बिलों को अधिकतम 30 दिनों के अन्दर ब्यौरेवार आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करके व्यवस्थित कर लिए जाने की आवश्यकता होती है। तथ्य यह है कि 31 मार्च 2017 को ₹ 8.06 करोड़ के 123 ब्यौरेवार आकस्मिक बिल अवशेष थे। इससे प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है एवं दर्शाये गये व्यय को अन्तिम नहीं मान सकते। अवशेष बिलों की स्थिति अगले पृष्ठ पर है:-

वर्ष	बकाया ब्यौरेवार आकस्मिक बिलों की संख्या	अवशेष धनराशि (करोड़ ₹ में)
2014-15	06	0.35
2015-16	03	0.01
2016-17	114	7.70
<b>योग</b>	<b>123</b>	<b>8.06</b>

## 7.7 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धता

राज्य सरकार के विभिन्न इंजिनियरिंग विभाग (जैसे लोक निर्माण कार्य, सिंचाई इत्यादि) द्वारा अपूर्ण पूंजीगत निर्माण पर वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 4,35.12 करोड़ व्यय किये गये।

## 7.8 व्यक्तिगत जमा लेखे

अपने दायित्व का निर्वहन करने हेतु सरकार व्यक्तिगत जमा खाता खोलने एवं इसमें समेकित निधि से धन हस्तान्तरित कर जमा करने के लिए अधिकृत है। प्रशासकों को ऐसे लेखे वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर बन्द कर देने चाहिए तथा अव्ययित निधि को वापस समेकित निधि में हस्तान्तरित कर देना चाहिए। वर्ष 2016-17 के अन्त तक ₹ 1,85.33 करोड़ समेकित निधि को अहस्तान्तरित थे। वर्ष 2016-17 के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते की स्थिति निम्न है:

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान बढ़ोतरी		वर्ष के दौरान बंद किए गए		अंत: शेष	
सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
25	2,29.24	19	84.24	25	1,28.15	19	1,85.33

## 7.9 उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

उदय, बिजली वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए भारत सरकार की एक योजना है और राज्य डिस्कॉम के ऑपरेटिंग और वित्तीय दक्षता में सुधार की उम्मीद है। इस योजना के संचालन में उत्तराखण्ड सरकार ने मार्च 2016 में एक आदेश जारी किया, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गये थे।

(अ) 30.09.2015 को, यू0पी0सी0एल0 के पास आर0ई0सी0 से ₹ 5,20.37 करोड़ का ऋण था। इस ऋण पर ब्याज 12 प्रतिशत प्रति वर्ष था। यह निर्णय लिया गया है कि यू0पी0सी0एल0 ब्याज की कम दरों पर बांड जारी करेगी। इन बांडों की गारंटियां उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जायेगी।

- (ब) यू0पी0सी0एल0 ने उत्तर प्रदेश से 30.09.2015 को ₹ 1,41.04 करोड़ का ऋण लिया था और ब्याज दर 17.50 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। उत्तराखण्ड सरकार इस ऋण को शेयर पूंजी में बदल देगी, इस प्रकार यू0पी0सी0एल0 को लाभ होगा।
- (स) यू0पी0सी0एल0 ने उत्तराखण्ड सरकार से 30.09.2015 को ₹ 10.09 करोड़ का ऋण भी लिया था और इस पर ब्याज दर 6.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। उत्तराखण्ड सरकार इस ऋण को शेयरपूंजी में बदल देगी।

राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया है कि वर्ष 2016-17 के दौरान इन निर्णयों पर आगे की कार्यवाही की गई है या नहीं।





© भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<http://agua.cag.gov.in>